



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केन्द्रीय कार्यालय (मुख्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Kendriya Bhawan Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimcofolk@gmail.com

पत्र सं० 8वीं/यू.पी./08/33/2018/एफ.सी. 15

दिनांक: 11-4-18

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/WATER/32379/2018

विषय: आगरा में जल संपूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कलाश पन्थिर से जीवनी गण्टी, वाटर वर्क तक उ० प्र० जल निम्न आगरा द्वारा विद्यार्थी गयी पाइप लाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे० आरक्षित गन्भीर का बिना बूल पातन, के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव, उ० प्र० शासन का पत्रांक- पी०११/14-2-2018-800(59)2018, दिनांक- 23.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय यह करने का वन्द करे। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त भुझे आगरे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. Original SOI toposheets of proposed land and CA land not provided.
2. Kml file shows less area as compared to proposed land for diversion, which needs rectification.
3. Proposed area is lying within Eco sensitive zone, recommendation of Chief Wild Life Warden/SC-NBWL is needed.
4. Copy of original approval order of diversion with compliance report of conditions may be submitted.
5. CA land on Degraded Forest Land in twice the area of diversion is needed.
6. Copy of Supreme Court Order / Permission obtained earlier.
7. Penal provision as per latest guidelines of MoEF&CC should be made applicable.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ० प्र०।
3. परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ० प्र० जल निगम, आगरा, उ० प्र०।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्राथमिकता

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2905/आगरा/32379/2018, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 12, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेख तीन प्रति में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक, आगरा को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ० प्र० जल निगम, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, आगरा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक 4796/14/आगरा, दिनांक 16/4/2018

अप्रेषित

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
आगरा

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ।

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा